...विकास निगम लिमिटेड

पोस्ट बाक्स न0 1050
कानपुर।
दूरभाष 2582851–53
फैक्स – 0512–2580797
वेबसाइट www upsidc com

संदर्भ सं0 2377–81/एसआईडीसी/I.A/Directions/07-08 दिनांक 01-12-2016

to AYRM/PO

कार्यालय आदेश

आबंटियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं/कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय अधिकार प्रतिनिधायित करते हुये निर्गत किए गए कार्यालय आदेश संख्या 140–143/एसआईडीसी/प्र0नि0कै0 दिनांक 23.9.2016 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है जिससे कि सभी प्रकृति के भूखण्ड आबंटियों के विभिन्न कार्यो सम्बन्धी अनुरोध पारदर्शिता के साथ शीघ्र निस्तारित किए जा सकें :–

अ. क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को प्रदत्त अधिकार

क्र0सं0	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायन/अधिकार
1.	सभी औद्योगिक आवंटन जिनमें इकाई स्थापना हेतु नियमानुसार समय उपलब्ध/विस्तारित है तथा अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों हेतु नियमानुसार पट्टाविलेख का निष्पादन, कब्जा हस्तान्तरण, आरक्षण धनराशि की देय तिथि से 30 दिन(तीव्र गति के क्षेत्रों में)/60 दिन(मंद गति के क्षेत्रों में) दिनों तक (क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में) ब्याज सहित भुगतान स्वीकार करने का कार्य, पट्टाविलेख को आबंटी की अभिरक्षा में/वित्तीय संस्था के पक्ष में एकल/बहुपक्षीय रहन, आबंटित क्षेत्रफल में भूखण्ड के कब्जे तक ज्ञात हुई वृद्धि का नियमानुसार नियमितीकरण, औद्योगिक आवंटनों में उत्पाद परिवर्तन/अतिरिक्त उत्पाद की अनुमति,	पूर्ण अधिकार
2	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का समर्पण स्वीकार करना एवं नियमानुसार धनराशि वापस करनां, जमा धनराशि में रू0 100/– तक की कमी के सम्बन्ध में डिफाल्टर वर्ग से आबंटी को हटाने सम्बन्धी कार्य।	पूर्ण अधिकार
3.	औद्योगिक आवंटनों का समय विस्तारण	आवंटन की तिथि से 04 वर्ष तक
4.	पूर्ण लेवी सहित औद्योगिक भूखण्ड आबंटनों का हस्तांतरण	एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन की तिथि से 04 वर्ष तक
5	यूपीएफसी/पिकप/अन्य नीलामी के हस्तांतरण के प्रकरण (पूर्ण लेवी सहित)	एक एकड़ क्षेत्रफल तक के आबंटन
6.	आबंटी की मृत्यु के उपरान्त भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटी का नाम परिवर्तन (बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के)	(क) औद्योगिक आबंटनों में एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन की तिथि से 04 वर्ष तक (ख) एकल आवासीय भूखण्डों मे पूर्ण अधिकार

...Development Corporation... RECEIVED 2.12.16

7.	औद्योगिक भूखण्डों में किरायेदारी	''एक एकड़ क्षेत्रफल तक क्रियाशील इकाईयों'' की परिभाषा से आच्छादित प्रकरणों में पूर्ण अधिकार
8.	भवन मानचित्र की स्वीकृति	(क) औद्योगिक आबंटनों में एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आवंटन की तिथि से 04 वर्ष तक (ख) एकल आवासीय भूखण्डों में पूर्ण अधिकार। (ग) अन्य प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के उपरान्त नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति/अनुमोदन निर्गत करने के पूर्ण अधिकार।
9.	देयों का भुगतान न करने की दशा में सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण	पूर्ण अधिकार
10.	अनुपयोगित औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का निरस्तीकरण	एक एकड़ क्षेत्रफल तक
11.	औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का पुर्नजीवीकरण	एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन की तिथि से 04 वर्ष तक
12.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में देयों का रिशिड्यूलमेन्ट	एक एकड़ क्षेत्रफल तथा आबंटन की तिथि से 04 वर्ष तक

ब. **प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र को प्रदत्त अधिकार**

1.	औद्योगिक आबंटनों का समय विस्तारण	आबंटन की तिथि से 10 वर्ष तक
2.	पूर्ण लेवी के सभी प्रकृति के आबंटनों का हस्तांतरण	दो एकड़ क्षेत्रफल तक
3.	यूपीएफसी/पिकप/अन्य नीलामी के हस्तांतरण के प्रकरण	दो एकड क्षेत्रफल तक
4.	दो वर्ष लगातार उत्पादन सहित नियमानुसार उपयोगित/''क्रियाशील इकाईयों'' की परिभाषा से आच्छादित औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन का हस्तांतरण	दो एकड़ क्षेत्रफल तक
5.	सभी प्रकृति के भूखण्ड आबंटनों में पुर्नगठन/भूखण्ड परिवर्तन/देयों का रिशिड्यूलमेन्ट	दो एकड क्षेत्रफल तक
6.	आबंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्ड--आबंटनों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटी का नाम परिवर्तन(बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के)	दो एकड़ क्षेत्रफल तक
7.	औद्योगिक भूखण्डों में किरायेदारी	दो एकड़ क्षेत्रफल तक

Scanned with CamScanner

८	अनुपयोगित औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन का नियमितीकरण	एक एकड़ से अधिक दो एकड़ क्षेत्रफल तक
९	औद्योगिक/एकल आवासीय भूखण्डों के आवंटन का पुर्नजीवीकरण	दो एकड़ क्षेत्रफल तक
१०	सभी प्रकृति के आवंटनों के भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को अनुमति देना।	दो एकड़ क्षेत्रफल तक के आवंटन

ख. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक को प्रदत्त अधिकार

१	औद्योगिक आवंटनों का समय विस्तारण	आवंटन की तिथि से १६ वर्ष से अधिक
२	पूर्ण लीज के सभी प्रकृति के आवंटनों का हस्तान्तरण	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
३	यूपीएसआईडीसी/सिडको/अन्य नीलामी से हस्तान्तरण के प्रकरण	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
४	दो वर्ष लगातार उत्पादन सहित नियमानुसार उपयोगित/क्रियाशील इकाईयों की परिभाषा में आच्छादित औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन का हस्तान्तरण	दो एकड़ से अधिक पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
५	सभी प्रकृति के भूखण्ड आवंटनों में पुर्नगठन/भूखण्ड परिवर्तन/किश्तों का रिशिड्यूलमेण्ट	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
६	आवंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्ड आवंटनों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तान्तरण, आवंटी का नाम परिवर्तन(बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के)	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
७	सभी प्रकृति के अनुपयोगित भूखण्डों के आवंटन का नियमितीकरण	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
८	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आवंटन का पुर्नजीवीकरण	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक
९	औद्योगिक भूखण्डों पर द्वितीय इकाई की स्थापना	पूर्ण अधिकार
१०	सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जा देने के पश्चात हुई क्षेत्रफल वृद्धि का नियमितीकरण	पूर्ण अधिकार
११	सभी प्रकृति के आवंटनों के भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को अनुमति देना	पांच एकड़ क्षेत्रफल तक

"सभी प्रकृति के आवंटनों" से तात्पर्य विभिन्न भू-उपयोगों यथा औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत तथा अवस्थापना सुविधाओं आदि हेतु किये गये आवंटनों से है। क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का निस्तारण १५ दिनों के अन्दर सुनिश्चित करेंगे तथा अन्य प्रकरणों को यथाशीघ्र मुख्यालय संदर्भित करेंगे जिससे कि उनपर अंतिम निर्णय एक माह के अन्दर लिया जा सके। कोई भी प्रकरण उच्चतर अधिकारी को उसी स्थिति में संदर्भित किया जायेगा जबकि वह निम्न अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो

अथवा कोई विशिष्ट कारण/अस्पष्टता की स्थिति हो, जिसका स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अवशेष सभी प्रकरणों में तथा किसी अस्पष्टता की स्थिति में अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेंगे तथा ऐसी सभी पत्रावलियां संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर निस्तारित प्रकरणों के अभिलेख प्राप्त कर अनुश्रवण किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक

संदर्भ सं० 2377-81 /एसआईडीसी/I-A/Duractionto AM RMs/PO-2007-08 दिनांक 01-12-201

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, कानपुर।
2. प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, कानपुर।
3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, कानपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
5. गार्ड फाईल।

29/11/16

(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner